(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 09 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द लाल अग्रवाल उम्र 32 वर्ष जाति महाजन निवासी सोहन जी माली की बाडी बारॉ जिला बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स श्री बालाजी प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर ताड के बालाजी के पास अटरू रोड बारॉ जिला बारॉ
2. मैसर्स श्री बालाजी प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर ताड के बालाजी के पास अटरू रोड बारॉ जिला बारॉ
3. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र मथुरालाल निवासी सत्संग भवन की गली बारॉ (मालिक) मैसर्स गर्ग इन्टरप्राइजेज काबरा जी की गली बंक रोड बारॉ
4. मैसर्स गर्ग इन्टरप्राइजेज काबरा जी की गली बंक रोड बारॉ
5. श्री पवन बब्बर पुत्र श्री मोहन लाल बब्बर (मालिक) मैसर्स श्री बालाजी कृपा ट्रेडिंग कम्पनी प्लाट नं. 45 सुदर्शन पेट्रोल पम्प के पीछे ट्रांसपोर्ट नगर ग्वालियर म.प्र.
6. मैसर्स श्री बालाजी कृपा ट्रेडिंग कम्पनी प्लाट नं. 45 सुदर्शन पेट्रोल पम्प के पीछे ट्रांसपोर्ट नगर ग्वालियर म.प्र.
7. श्री अनुभव अग्रवाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल निवासी म.नं. 9 सेक्टर 7, अर्बन एस्टेट अम्बाला सिटी हरियाणा (भागीदार) मैसर्स सुदर्शन मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लोहगढ रोड ग्राम मानकपुर जिला अम्बाला सिटी हरियाणा
8. श्रीमती वन्दना अग्रवाल पत्नि श्री अनुभव अग्रवाल निवासी म.नं. 9 सेक्टर 7, अर्बन एस्टेट अम्बाला सिटी हरियाणा (भागीदार) मैसर्स सुदर्शन मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लोहगढ रोड ग्राम मानकपुर जिला अम्बाला सिटी हरियाणा
9. कुसमलता पुत्री श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल निवासी म.नं. 9 सेक्टर 7, अर्बन एस्टेट अम्बाला सिटी हरियाणा (भागीदार) मैसर्स सुदर्शन मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लोहगढ रोड ग्राम मानकपुर जिला अम्बाला सिटी हरियाणा
10. श्री श्यामलाल पुत्र श्री धर्मपाल निवासी 6615 / 4, कलाल माजरी कृष्णा स्ट्रीट अम्बाला सिटी हरियाणा 134003 (भागीदार) मैसर्स सुदर्शन मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लोहगढ रोड ग्राम मानकपुर जिला अम्बाला सिटी हरियाणा
11. मैसर्स सुदर्शन मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लोहगढ रोड ग्राम मानकपुर जिला अम्बाला सिटी हरियाणा

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) / 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री [illegible] गौत्तम अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:40:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 18.07.[illegible]

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.06.2022 को मैसर्स श्रीबालाजी प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर ताड के बालाजी के पास अटरू रोड बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्दलाल अग्रवाल (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.07.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ–28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **मीठी सुपारी(सुदर्शन मासूम) मूल पोली (एक पैकिट मे 60 पाउच) के करीबन 45 पैकिट** आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ पदार्थ **मीठी सुपारी(सुदर्शन मासूम) मूल पोली पैकिट** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ पदार्थ **मीठी सुपारी(सुदर्शन मासूम) मूल पोली पैक (एक पैकिट मे 60 पाउच)** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्दलाल अग्रवाल (विक्रेता एवं मालिक) को 800/– रूपये (अक्षरे आठ सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मीठी सुपारी(सुदर्शन मासूम) मूल पोली पैक(एक पैकिट मे 60 पाउच) के 16 पैकिट को** को 4–4 के चार भागों में कर प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1467 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1467 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्दलाल अग्रवाल (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:40:55 IST
Reason: Self Attested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/148 दिनांक 14.07.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 991/PHL/Kota/Act/2022/1015 दिनांक 04.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य **मीठी सुपारी (सुदर्शन मासूम) मूल पोली पैक (एक पैकिट मे 60 पाउच)** मिथ्याछाप (**Misbranded**) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 03.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मीठी सुपारी (सुदर्शन मासूम) मूल पोली पैक (एक पैकिट मे 60 पाउच)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परिवाद मे वर्णित आरोप प्रथम दृष्टिया प्रमाणित नही है। यह कि प्रकरण खाद्य पदार्थ मिठी सुपारी (सुदर्शन मासूम) का सेम्पल लेना बताया गया है जो प्राईमरी खाद्य पदार्थ नही है खाद्य पदार्थ का सेम्पल लेने मे अधिनियम के नियमों का पालन कतई नही किया गया है। यह कि जांच रिपोर्ट दिनांक 4.7.2022 मे स्पष्ट वर्णित है कि नमूने की जांच दिनांक 24.6.2022 से 4.7.2022 तक की गई है लेकिन की गई जांच परिणाम का कोई वर्णन प्रत्येक दिवस का रिपोर्ट मे दर्ज नही है। ऐसी रिपोर्ट साक्ष्य मे पढे जाने योग्य नही है। यह कि प्रक्रिया के पालन के अभाव मे परिवाद स्थिर रखे जाने योग्य नही है। यह कि खाद्य निरक्षक द्वारा मौके पर कोई कार्यवाही नही की गई है कार्यवाही करने से पूर्व निर्माता पैकिंगकर्ता की कोई समझाईश नही की गई है समझाईश का अवसर प्रदान नही कर त्रुटि की है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि परिवाद निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 991/PHL/Kota/Act/2022/1015 दिनांक 04.07.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 01 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मीठी सुपारी(सुदर्शन मासूम) मूल पोली पैक(एक पैकिट मे 60 पाउच)** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 991/PHL/Kota/Act/2022/1015 दिनांक 04.07.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 15,000/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **18.07.2023** को मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:40:55 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)